

## भारत की आपदा रणनीति में सुधार

यह एडिटरियल 18/02/2025 को द हट्टि में प्रकाशित “[Bill to amend Disaster Management Act: a proposed solution involving the States](#)” पर आधारित है। इस लेख में आपदा राहत नधि को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को सामने लाया गया है, वलिंब और अपर्याप्त आवंटन को उजागर करता है। यह समय पर रकिवरी सुनिश्चिती करने के लिये एक पारदर्शी, न्यायसंगत और गैर-राजनीतिक आपदा प्रबंधन कार्यदाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

### प्रलिमिस के लिये:

[राष्ट्रीय आपदा मोचन बल](#), [आपदा प्रबंधन \(संशोधन\) अधियक, 2024](#), [चक्रवात मर्चिंग](#), [भारतीय मौसम वभिग](#), [ग्लेशियल झील वसिफोट बाढ़ \(GLOF\)](#), [भूकंप](#), [एंटीबायोटिक प्रतिरोध](#), [हीटवेव](#), [राष्ट्रीय भवन संहति \(NBC\), 2016](#), [MGNREGA](#), [जल शक्ति अभियान](#)

### मेन्स के लिये:

भारत के समक्ष प्रमुख आपदा खतरे, भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति में प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे।

[भारत की आपदा मोचन नधि](#) व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच [वविाद का वषिय](#) बन गई है, जैसा [कतिमलिनाडु में चक्रवात के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल](#) की पर्याप्त सहायता के लिये हाल ही में कयि गए संघर्ष में देखा गया है। जबकि राज्य जलवायु-परैरति आपदाओं का सामना कर रहे हैं [SDRF](#) और [NDRF](#) से [वलिंब एवं अपर्याप्त आवंटन समय पर पुनर्प्राप्ति प्रयासों में बाधा](#) डालते हैं। [आपदा प्रबंधन \(संशोधन\) अधियक, 2024](#) जैसे वधिायी प्रस्तावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नरिणय लेने में आनुपातिक राज्य प्रतिनिधितिव सुनिश्चिती करना है। जैसे-जैसे चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ती हैं, भारत को तत्काल एक समुत्थानशील और गैर-राजनीतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।

## भारत के समक्ष प्रमुख आपदा खतरे क्या हैं?

- **चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति:** भारत में जलवायु-जनित आपदाओं जैसे **चक्रवात, बाढ़ और हीट वेव्स** में वृद्धि देखी जा रही है, जो बढ़ते वैश्विक तापमान एवं अनयिमति मानसून पैटर्न से परैरति हैं।
  - **हदि महासागर के गर्म होने से चक्रवातों की तीव्रता बढ़ रही है**, जबकि मानसून की बदलती प्रवृत्तिके कारण अपरत्याशति सूखा और बाढ़ आ रही है।
  - **चक्रवात मर्चिंग (वर्ष 2023)** के कारण तमलिनाडु में **₹37,000 करोड़ का नुकसान** हुआ; हमिचल प्रदेश में वर्ष 2023 में बाढ़ के कारण **₹10,000 करोड़ की क्षति** हुई।
    - भारत में वर्ष 2022 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 2,227 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है (IMD, 2024)।
- **नमिनसतरीय बुनयािदी अवसंरचना के कारण शहरी बाढ़:** अनयिोजति शहरीकरण, अवरुद्ध जल निकासी प्रणालियाँ और लुप्त होती आर्दरभूमि ने मौसमी बारशि को वनिाशकारी **शहरी बाढ़** में बदल दिया है।
  - **दलिी, चेन्नई और बँगलुरु** जैसे शहरों में **कंक्रीटीकरण एवं अपर्याप्त जल प्रबंधन** के कारण गंभीर जलभराव की समस्या है।
    - उदाहरण के लिये, **दलिी में जुलाई 2023 में 41 वर्षों में सबसे अधिक एक दविसीय वर्षा (153 ममी) दर्ज** की गई, जिसके कारण **यमुना में बाढ़ आ गई और व्यापक यातायात बाधति** हुआ।
    - वर्ष 2022 में बाढ़ के कारण बँगलुरु को **2.25 अरब रुपए** का नुकसान हुआ।
- **सूखा और जल की कमी से कृषि प्रभावति हो रही है:** अनयिमति मानसून, बढ़ता तापमान एवं भूजल में कमी के कारण **सूखा लगातार और गंभीर** होता जा रहा है।
  - भारत की **मानसून आधारित कृषि पर अत्यधिक नरिभरता**, इसकी खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक कमजोर बना देती है।
  - **अकुशल सचिाई पद्धतियाँ और जलवायु-अनुकूल कृषिके करयिान्वयन में वलिंब** से संकट बढ़ रहा है।
  - **भारतीय मौसम वभिग** ने वर्ष 2023 के अगस्त महीने को **122 वर्षों में सबसे शुष्क माह** घोषति कयिा है, जिससे **खरीफ फसल की उतपननवार पर** गंभीर असर पड़ेगा।
    - इसके अलावा, **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर** के एक हालिया अनुमान के अनुसार, वर्ष 2050 तक **30 भारतीय शहरों को 'गंभीर जल जोखमि'** का सामना करना पड़ेगा।
- **हमिलयी हमिनदों का पधिलना और फ्लैश फ्लड:** वैश्विक तापमान में वृद्धिके कारण **हमिलय में हमिनदों का पधिलना तीव्र** हो रहा है, जिससे

**ग्लेशियल झील वसिफोट बाढ़ (GLOF)** और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है।

- सुभेद्य हमिलयी क्षेत्रों में जलवदियुत बाँध एवं राजमार्ग जैसी बुनयिादी अवसंरचना परयोजनाएँ स्थति को और भी बदतर कर रही हैं।
  - पूरव चेतावनी प्रणालयों और आपदा-रोधी बुनयिादी अवसंरचना के अभाव से महत्त्वपूर्ण मानवीय एवं आर्थिक क्षति होती है।
- अक्टूबर 2023 में, उत्तरी सकिम के दक्षिण लहोनक झील से एक ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड (GLOF) की घटना हुई, जिससे व्यापक वनिाश हुआ।
- **समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय क्षरण:** भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्र के बढ़ते स्तर, तटीय क्षरण और अलवण जल के प्रवेश के प्रति संवेदनशील होती जा रही है।
  - अनयितरित रेत खनन, बंदरगाह वसितार एवं मैंग्रोव वनिाश से स्थति और भी खराब हो रही है।
    - भारत की जलवायु कार्य योजना के बावजूद, तटीय समुत्थानशीलन प्रयास धीमे बने हुए हैं।
  - राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 33.6% तट का क्षरण हो रहा है।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भूकंप:** भारत कई भूकंपीय क्षेत्रों के मध्य स्थति है, जिस कारण भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्य अत्यधिक भूकंप-प्रवण हैं।
  - भवन निर्माण संहिताओं का लापरवाह करयान्वयन और पुरानी बुनयिादी अवसंरचना आपदा के प्रभाव को बढ़ा देती हैं।
    - पुरानी इमारतों और महत्त्वपूर्ण बुनयिादी अवसंरचना के लयि पुनर्निर्माण नीतयों की कमी से भूकंप-मोचन की तैयारी कमजोर हो जाती है।
  - असम में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप (वर्ष 2021) से व्यापक संरचनात्मक क्षति हुई।
    - दलिली-NCR में हाल ही में आए भूकंप, जनिका संभावति केंद्र धौला कुआं के पास था, बढ़ते भूकंपीय खतरों को उजागर करते हैं।
- **औद्योगिक और रासायनिक आपदाएँ:** कड़े सुरक्षा अनुपालन के बिना तेज़ी से औद्योगिक वसितार के कारण रासायनिक आपदाएँ और गैस रसिाव बढ़ रहे हैं।
  - खतरनाक उद्योगों में अपर्याप्त नयामक नगिरानी और पुरानी तकनीक जोखिम को बढ़ा देती है।
  - वज़िाग LG पॉलमिर गैस रसिाव के कारण कई लोग हताहत हुए। दलिली की मुंडका फ़ैक्टरी में आगजनी (वर्ष 2022), नमिनस्तरीय औद्योगिक सुरक्षा मानकों को उजागर करती है।
- **जैविक आपदाएँ और सार्वजनिक स्वास्थ संकट:** महामारी, संक्रामक (ज़ूनोटिक) रोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध दीर्घकालिक आपदा जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण **वेक्टर जनति रोगों** की आवृत्ति बढ़ रही है।
    - कोवडि-19 महामारी ने भारत के स्वास्थ सेवा बुनयिादी अवसंरचना में खामियों को उजागर किया है, तथा सुदृढ़ रोग नगिरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - भारत को घरेलू पशुओं और मनुष्यों दोनों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण उभरते **एंटीबायोटिक प्रतिरोध** के केंद्र के रूप में अभिनिरिधारण किया गया है।

## भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति में प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे क्या हैं?

- **अतकिंद्रीकरण और वलिंबति नधि वितरण:** भारत का आपदा प्रबंधन अत्यधिक केंद्रीकृत बना हुआ है, राज्य राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) पर निर्भर है, जिसके कारण वलिंब और अकुशलता होती है।
  - राज्य प्रायः अपर्याप्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधि (SDRF) आवंटन से जूझते हैं, जिससे समय पर राहत और पुनर्वास के लयि उनकी क्षमता सीमति हो जाती है।
  - तमलिनाडु ने हाल ही में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 6,675 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है ताकि राज्य चक्रवात फ़ंगल के बाद आवश्यक राहत और बहाली कार्य कर सके।
- **कमजोर स्थानीय शासन और कार्यान्वयन अंतराल:** आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के बावजूद, स्थानीय प्राधिकरणों के पास पर्याप्त धन नहीं है और नरिणय लेने की शक्ति का अभाव है, जिससे आपदा मोचन धीमी और अप्रभावी हो जाती है।
  - प्रशक्ति कार्मिकों और तकनीकी क्षमता की कमी के कारण कई ज़िलों में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) नषिक्रयि या गैर-कार्यात्मक हैं।
    - यहाँ तक कि आपदा-प्रवण राज्यों में भी ज़मीनी स्तर पर उचित जोखिम आकलन और तैयारी योजनाओं का अभाव है।
  - वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान ज़िला स्तर पर समन्वय की कमी के कारण राहत कार्य धीमा हो गया, जिससे हजारों लोगों को सहायता मिलने में देर हुई।
- **पुरानी पड़ चुकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालयों और अपर्याप्त पूर्वानुमान:** भारत की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालयों (EWS) तकनीकी खामियों, अंतिम बडु तक अपर्याप्त कनेक्टविटि और गलत पूर्वानुमान से ग्रस्त हैं, जिसके कारण मोचन एवं नकिासी में वलिंब होता है और हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।
  - हालाँकि IMD चेतावनी जारी करता है, लेकिन वे प्रायः वशिषिट या स्थानीयकृत नहीं होती, जिससे अधिकारयों के लयि समय पर नवारिक उपाय करना कठनि हो जाता है।
    - कई ग्रामीण और जनजातीय समुदाय रयिल टाइम अलर्ट के अभगिम से बाहर हैं, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ रही है।
    - अवसंरचना संबंधी सीमाएँ, जैसे अपर्याप्त डॉपलर रडार कवरेज, पूर्वानुमान क्षमताओं को और कमजोर कर देती हैं।
  - सकिम में दक्षिण लहोनक झील GLOF (वर्ष 2023) के लयि कोई उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं थी, जिसके कारण कई लोग हताहत हुए और बड़े पैमाने पर बुनयिादी अवसंरचना का नुकसान हुआ।
    - इसके अलावा, अनुमान है कि भारत में 72% ज़िले अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के संपर्क में हैं, लेकिन उनमें से केवल 25% में ही बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र हैं।
- **अपर्याप्त शहरी नयोजन और बुनयिादी अवसंरचना का समुत्थंशकत:** तीव्र, अनयोजति शहरीकरण ने शहरों को बाढ़, भूकंप और हीट वेव्स के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बना दिया है, कमजोर भवन संहिता और अपर्याप्त जल नकिासी प्रणालयों ने आपदाओं की स्थति को और भी बदतर

बना दिया है।

- पुरानी संरचनाओं के नवीनीकरण की उपेक्षा की जाती है, जिससे भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान हताहतों का खतरा बढ़ जाता है।
  - **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016** का नमिनस्तरिय प्रवर्तन, डेवलपर्स को आपदा-प्रतिरोधी निर्माण मानकों की अनदेखी करने की अनुमति देता है।
- एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि NBC दिशानिर्देशों का ठीक से पालन न किये जाने के कारण दिल्ली की 80% से अधिक इमारतें बड़े भूकंप के प्रति सुभेद्य हैं।
- **अपर्याप्त सामुदायिक जागरूकता और तैयारी:** भारत की उच्च आपदा भेद्यता के बावजूद, आपदा तैयारी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कम है, विशेष रूप से ग्रामीण और सीमांत समुदायों में।
  - आपदा अभ्यास, शिक्षा कार्यक्रम और निकासी प्रशिक्षण के अभाव के कारण हताहतों की संख्या अधिक होती है और आपदा मोचन अकुशल होती है।
  - समावेशी आपदा नीतियों के अभाव का अर्थ है कि कमजोर समूह - महिलाएँ, वृद्ध जन, दवियांग जन- प्रायः तैयारी योजनाओं से अपवर्जित रह जाते हैं।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार का सीमिति उपयोग:** भारत का आपदा प्रबंधन पारंपरिक मोचन तंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तथा आपदा पूर्वानुमान एवं राहत के लिये AI, रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग के अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी है।
  - ब्लॉकचेन और उपग्रह इमेजरी से वास्तविक काल में क्षति का आकलन और तेज़ी से धन वितरण में सुधार हो सकता है, लेकिन कार्यान्वयन अभी भी सीमिति है।
  - अंतर-एजेंसी डेटा साझाकरण और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का अभाव नरिणय लेने एवं समन्वय को कमजोर करता है।
  - जबकि जापान जैसे देश AI-आधारित सुनामी पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करते हैं, भारत का तटीय EWS अभी भी पारंपरिक सेंसर पर निर्भर है।
- **खंडित आपदा स्वास्थ्य प्रबंधन:** आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रायः आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, ट्रॉमा देखभाल केंद्रों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी होती है, जिससे आपदा के बाद मृत्यु दर और भी बढ़ जाती है।
  - कई राज्य आपदा योजनाओं में समरूपित सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुक्रिया रणनीतियों का अभाव है, जिसके कारण वे नविवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक बन जाती हैं।
  - हीटवेव, महामारी और रासायनिक आपदाओं के लिये विशेष स्वास्थ्य देखभाल अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन NDMA और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय कमजोर बना हुआ है।
    - आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल अस्पतालों और टेलीमेडिसिन समाधानों का कम उपयोग किया जाता है।
  - वर्ष 2024 के ओडिशा हीटवेव के दौरान, 24 घंटों में 26 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा कई अस्पतालों में पर्याप्त आपातकालीन राहत सुविधाओं का अभाव था।

## भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **वर्केंद्रीकृत आपदा प्रशासन और नधिआवंटन:** तीव्र मोचन सुनिश्चित करने के लिये नधिउपयोग में स्वायत्तता के साथ राज्य और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA और DDMA) को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - राजनीतिक हस्तक्षेप और वलिंब से बचने के लिये एक सूत्र-आधारित, प्रभाव-संचालित NDRF आवंटन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को **पंचायती राज संस्थान (PRI)** और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में एकीकृत करके स्थानीय शासन कार्यदायों को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - SDRF के उपयोग में समुत्थानशक्ति बढ़ाया जाना चाहिये ताकि राज्य उभरते आपदा जोखिमों पर अनुक्रिया कर सकें।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और वास्तविक काल नगिरानी को सुदृढ़ करना:** स्थानीयकृत और सटीक पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिये डॉपलर रडार नेटवर्क, उपग्रह इमेजिंग और AI-आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण को उन्नत किया जाना चाहिये।
  - अंतिम बटु तक कनेक्टिविटी के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, SMS, सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित अलर्ट प्रणाली लागू किया जाना चाहिये।
  - बाढ़, चक्रवात, भूकंप और हीट वेव्स को एकीकृत तरीके से कवर करने वाली बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (MHEWS) विकसित किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से समुदाय-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रसार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **जलवायु-लचीला बुनियादी अवसंरचना और शहरी नयोजन सुधार:** **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016** का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिये और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी नए निर्माण भूकंप, बाढ़ एवं चक्रवात प्रतिरोधी हों।
  - शहरी बाढ़ को कम करने के लिये आर्द्रभूमि पुनरुद्धार, मैंग्रोव वृक्षारोपण और पारगम्य शहरी सतहों जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - स्मार्ट सिटी और अमृत परियोजनाओं में आपदा भेद्यता आकलन को एकीकृत करके जोखिम-संवेदनशील भूमि-उपयोग नयोजन को अनविवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - विशेष रूप से भूकंपीय क्षेत्रों में पुरानी इमारतों, पुलों और बांधों के आपदा-रोधी पुनर्रिमाण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - सतत शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये हरति बुनियादी अवसंरचना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक जागरूकता और आपदा तैयारी को बढ़ाना:** तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - समुदाय एवं कार्यस्थल स्तर पर नियमित रूप से आपदा अभ्यास, मॉक ईवैक्यूएशन और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये।
  - आपदा-प्रवण क्षेत्रों में प्रथम मोचनकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG), स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिक प्रतिक्रिया टीमों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।

- अधिकि प्रभावी जोखमि संचार के लयि स्थानीय मीडिया, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और डिजिटल आउटरीच का उपयोग कया जाना चाहयि ।
- आपदा प्रबंधन के लयि प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना: वास्तवकि काल आपदा जोखमि मूल्यांकन के लयि AI, ब्लॉकचेन और GIS-आधारति नरिणय समर्थन प्रणालियों के उपयोग का वसितार कया जाना चाहयि ।
  - बाँधों, पुलों और भूखलन-प्रवण क्षेत्रों में वफिलता के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने के लयि IoT-आधारति स्मार्ट सेंसर तैनात कया जाने चाहयि ।
    - तेजी से राहत कार्यों के लयि ड्रोन आधारति आपदा मैपिंग और आपातकालीन आपूर्ति वितरण को मज़बूत कया जाना चाहयि ।
  - एकीकृत आपदा प्रबंधन मोबाइल अनुप्रयोग वकिसति कया जाना चाहयि जो रयिल टाइम अलर्ट, नकिसी मार्ग और आपातकालीन संपर्क प्रदान करें ।
- स्वास्थय देखभाल और आपदा-पश्चात मोचन तंत्र को सुदृढ बनाना: आपदा प्रभावति क्षेत्रों में मोबाइल आपातकालीन अस्पताल और त्वरति चकितिसा प्रतकिरया दल स्थापति कया जाना चाहयि ।
  - प्राथमकि स्वास्थय केंद्रों (PHC) और ज़िला अस्पतालों को हीटवेव, बाढ़ और महामारी से नपिटने की तैयारी के प्रोटोकॉल से लैस कया जाना चाहयि ।
  - पैरामेडकिस, आशा कार्यकर्ताओं और आपदा स्वयंसेवकों को सामूहकि दुर्घटना प्रबंधन एवं मनोवैज्ञानकि प्राथमकि चकितिसा में प्रशकषति कया जाना चाहयि ।
  - आपदा के बाद त्वरति हस्तकषेप के लयि आपातकालीन चकितिसा आपूर्ति, टीके और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरणों का भण्डारण कया जाना चाहयि ।
- संस्थागत सुधार और अंतर-एजेंसी समन्वय: एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन समन्वय केंद्र (NECH) के माध्यम से IMD, ISRO, NDMA और NDRF के बीच समन्वय बढ़ाया जाना चाहयि ।
  - प्रशासनकि अधिकारियों, प्रथम मोचनकर्ताओं और कानून प्रवर्तन कर्मियों को आधुनकि आपदा प्रतकिरया प्रोटोकॉल में प्रशकषति कया जाना चाहयि ।
  - समन्वति जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखमि न्यूनीकरण प्रयासों के लयि अंतर-मंत्रालयी सहयोग को बढ़ावा दया जाना चाहयि ।
    - वैज्ञानकि संस्थानों, आपदा मोचन बलों और स्थानीय सरकारों के बीच वास्तवकि काल की खुफिया जानकारी साझा करना सुनिश्चति कया जाना चाहयि ।
- वित्तीय समुत्थानशक्ति और आपदा बीमा तंत्र को मज़बूत करना: फसल हानि, संपत्ति की क्षति और आजीविका व्यवधानों को कवर करने के लयि राज्य स्तरीय आपदा जोखमि बीमा योजनाओं का वसितार कया जाना चाहयि ।
  - पूर्वनिर्धारति आपदा ट्रिगर्स के आधार पर स्वचालति मुआवज़ा प्रदान करने के लयि पैरामीट्रिक बीमा मॉडल वकिसति कया जाना चाहयि ।
  - आपदा जोखमि न्यूनीकरण परयोजनाओं के लयि कॉर्पोरेट सामाजकि उत्तरदायतिव (CSR) नधि को प्रोत्साहति कया जाना चाहयि ।
  - जलवायु अनुकूलन और आपदा-पूर्व शमन रणनीतियों का समर्थन करने के लयि एक समर्पति राष्ट्रीय लचीलापन कोष (NRF) की स्थापना की जानी चाहयि ।
    - कमज़ोर समुदायों के लयि सूक्ष्म बीमा कार्यक्रमों को प्रोत्साहति कया जाना चाहयि, जसिसे आपदा के बाद के आर्थकि झटकों को कम कया जा सके ।
- प्रकृत-आधारति समाधान और पारस्थितिकी तंत्र पुनरस्थापन को बढ़ावा देना: प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन बढ़ाने के लयि बड़े पैमाने पर वनरोपण एवं आर्द्रभूमि संरक्षण परयोजनाओं को लागू कया जाना चाहयि ।
  - चक्रवर्ताओं और अपरदन से बचाने के लयि मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और रेत के टीलों को पुनरस्थापति करके तटीय क्षेत्र प्रबंधन को सुदृढ कया जाना चाहयि ।
  - सूखे के जोखमि को कम करने के लयि संधारणीय कृषि और जल संरक्षण को बढ़ावा दया जाना चाहयि ।
  - दीर्घकालकि पारस्थितिकि स्थरिता के लयि आपदा अनुकूलन को MGNREGA और जल शक्ति अभियान में एकीकृत कया जाना चाहयि ।
- त्वरति पुनरवास और आजीविका पुनरप्राप्ति सुनिश्चति करना: आपदा-पश्चात पुनरनिमाण प्रयासों को कारगर बनाने के लयि पूर्व-अनुमोदति आपदा पुनरप्राप्ति कार्यद्वैचे का वकिस कया जाना चाहयि ।
  - आपदा प्रभावति आबादी को आर्थकि स्थरिता हासलि करने में मदद करने के लयि आजीविका वविधीकरण कार्यक्रमों को सुदृढ कया जाना चाहयि ।
  - आपदा-प्रवण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन के साथ त्वरति आवास पुनरनिमाण योजनाओं को क्रयान्वति कया जाना चाहयि ।
  - आघात से प्रभावति लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता के लयि मनो-सामाजकि सहायता कार्यक्रम स्थापति कया जाना चाहयि ।
    - आपदा प्रभावति क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं के पुनरनिमाण के लयि स्थानीय उद्यमशीलता और व्यावसायकि प्रशकषण को बढ़ावा दया जाना चाहयि ।

## नषिकर्ष:

भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ते खतरों से नपिटने के लयि एक वकिंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालति और जलवायु-अनुकूल कार्यद्वैचे में वकिसति होना चाहयि । आपदा प्रभावों को कम करने के लयि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक तैयारी और संधारणीय बुनयादी अवसंरचना को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है । आपदा जोखमि न्यूनीकरण (वर्ष 2015-2030) के लयि सेंदाई फ्रेमवर्क जोखमि न्यूनीकरण, समुत्थानशील पुनरस्थापन और समावेशी शासन पर ध्यान केंद्रति करते हुए एक सक्रयि दृष्टिकोण पर ज़ोर देता है ।

???????? ???? ?????:

प्रश्न. जलवायु परिवर्तन ने भारत में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा दिया है। विश्लेषण कीजिये कि जलवायु अनुकूलन और आपदा मोचन को भारत के शासन कार्यवाही में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न 1. आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की वविचना कीजिये। (2020)

प्रश्न 2. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परभाषति करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रती भेद्यता का किस प्रकार और कनि-कनि तरीकों के साथ चरतिर-चतिरण कया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के वभिन्नि प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न 3. भारत में आपदा जोखमि न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिये 'सँदाई आपदा जोखमि न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरति करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् कयिे गए वभिन्नि उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'होगो कार्रवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भन्नि है? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/reforming-india-s-disaster-strategy>

